

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(इसे अधिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक
जिला

नं०

से

दा० खा० वा० सं०

534 / 13-14
5

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| आदेश की क्र० सं० और ता० | आदेश और परामर्शकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
| 1 | 2 | 3 |

श्री मती खनी देवी

पति श्री बुनिलप्रसाद ग्राम डुमरा

थाना कोरवा जिला मोतिहारी

पं० थाना नं० 1407 दिनांक 9/3/13

यह आधार पर निम्नलिखित आधार पर साखिल छरिज हेतु आवेदन पत्र साखिल किया है।

| | | | | |
|-------------|----------|------------|-------------|------------|
| पिता का नाम | सौजी नं० | खाता नं० | खसरा | एराजी |
| <u>पहली</u> | <u>-</u> | <u>382</u> | <u>1442</u> | <u>622</u> |
| <u>14</u> | | | | |

मूल आवेदन पत्र इत्यादि कागजाती को अंचल निरीक्षक को माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सुचना जारी कर आपत्ति की मांग कर।

अधिलेख दिनांक 25/3/13 को उपस्थित करें।

MS
अंचल अधिकारी

MS
अंचल अधिकारी

महाल पर मामला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। परामर्शकारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक को माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम साखिल खासियत करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर साखिल खासियत किया जाता है शर्त पर मांग कर।

दिये हुए मुद्दे कि प्रा.

MS
अंचल अधिकारी
2/6/13